उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

F06548

संदर्भ सं
Ref. No. /सी–7/एन0ओ0सी–377/मुरा0/2012

दिनांक
Date 21-6-12

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
सी0जी0ओ0काम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली

विषय: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं तत्संबंधी जारी अधिसूचना सं0अ0 319(अ) दिनांक 04.7.97 यथासंशोधित दिनांक 14.9.06 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय चरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, रामपुर काठगोदाम अनुभाग 2/4–लेन में चौड़ीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.5.2012 को अपरान्ह 12.00 बजे हुई लोक सुनवाई का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी रामपुर द्वारा उपरोक्त लोक सुनवाई हेतु अपर जिलाधिकारी रामपुर को नामित किया गया था तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही दिनांक22.5.2012 को कलेक्ट्रेट सभागार, रामपुर में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न करायी गयी। उक्त बैठक के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद से प्राप्त लोक सुनवाई के कार्यवृत्त की प्रति तथा आडियो/वीडियो की सी0डी0 एवं की गयी फोटोग्राफी की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जे0एस0यादव)
सदस्य सचिव(प्र0)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड–1, गोमतीनगर, लखनऊ।

2– मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई–2, ए–35, ग्रीन पार्क रोड, रूद्रपुर (उत्तराखण्ड)।

..............2/–

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं तत्सम्बंधी जारी अधिसूचना सं0 अ0 319(अ) दिनांक 04.07.97 यथासंशोधित दिनांक 14.09.06 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय चरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, रामपुर काठगोदाम अनुभाग 2/4–लेन में चौड़ीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर की अध्यक्षता में दिनांक–22.05.12 को अपरान्ह 12:00 बजे हुई लोक सुनवाई का कार्यवृत्त–

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, रामपुर काठगोदाम अनुभाग 2/4–लेन में चौड़ीकरण किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), रामपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई, कलेक्ट्रेट, रामपुर के सभागार में दिनांक–22.05.12 को अपरान्ह 12:00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम लोक सुनवाई के सम्बंध में पैनल के सदस्यों द्वारा सभी उपस्थित जनों का परिचय प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थित जनों का विवरण संलग्न है (संलग्नक–1)।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग सं0 87 के रामपुर–काठगोदाम अनुभाग किमी 00 से 88 किमी0 तक के दो लेन से 4 लेन में सुदृढ़ीकरण के साथ चौड़ीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत रामपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के चेनेज 190 पर प्रारम्भ होकर बायीं ओर मुडकर उत्तर की ओर नैनीताल दिशा में 0.0 से 43.300 किमी0 तक का मार्गांश को विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये लोक सुनवाई के एक माह पूर्व नियमानुसार आम सूचना दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक–20.04.12 एवं राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 20.04.12 को प्रकाशित करायी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल हेतु कोई लिखित आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टीम लीडर श्री एस0 सेन गुप्ता द्वारा राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु विस्तृत रूप से तकनीकी जानकारी दी गयी तथा पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन द्वारा विस्तार से परियोजना के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि परियोजना के निर्माण कार्यों के समय काटे गये वृक्षों की जगह उनसे दोगुने वृक्षों को आस–पास के गांवों में खाली स्थानों पर वन विभाग के माध्यम से रोपण किया जाएगा। राजमार्ग के निर्माण हेतु स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लाण्ट आदि को वायु प्रदूषण की समुचित व्यवस्था के साथ आबादी से दूर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अपरगामी सेतु का भूकम्प रोधी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त राजमार्ग के चौड़ीकरण में कुल लगभग रुपये 790.00 करोड़ व्यय होने की सम्भावना है।

लोकसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जो सुझाव/आपत्तियां व्यक्त की गयीं वो निम्नानुसार है :–

- श्री धर्मवीर मित्तल पूर्व ब्लाक प्रमुख बिलासपुर, रामपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि बिलासपुर में बाईपास बनाने पर आस–पास के गावों में निवास करने वाले निवासियों एवं जानवरों के आने जाने हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी ?

- ➢ श्री एस0 सेन गुप्ता द्वारा बताया गया कि बाई पास पर आस–पास के गांवों के निवासियों के आने जाने हेतु अण्डर पास की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

- श्री मित्तल द्वारा पुनः जानकारी चाही गयी कि क्या बाईपास के किनारों पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाएगी ?

- ➢ श्री एस0 सेन गुप्ता द्वारा बताया गया कि बैरिकेटिंग का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

- श्री बलवीर सिंह, निवासी बिलासपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि बाईपास निर्माण के समय भारी वाहनों के आवागमन एवं निर्माण की अन्य प्रकियाओं से धूल से आसपास के लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से रोकने की क्या व्यवस्था होगी।

- ➢ श्री सेन गुप्ता द्वारा बताया गया कि राजमार्ग के निमार्ण के समय धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव की निरन्तर व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

- श्री बलवीर सिंह, निवासी बिलासपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि राजमार्ग के निर्माण में कितने अण्डर पास निर्मित किये जाएंगे ?

- ➢ श्री सेन द्वारा बताया गया कि राजमार्ग के निमार्ण में कुल 5 वाहन अण्डर पास का निमार्ण किया जाना प्रस्तावित है।

- श्री बलवीर सिंह द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि जमीन अधीग्रहण के मुआवजे को किस दर से दिया जाएगा ?

- ➢ इस पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि यह लोक सुनवाई पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित की गयी है, इसका जमीन के मुआवजे से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके लिए पृथक से विचार आमंत्रित किये जाएंगे।

- ➢ अपर जिलाधकारी द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि मिट्टी की खुदायी के समय उपजाऊ सतह की मिट्टी को निकलकर सुरक्षित रखा जाये एवं उसके पश्चात राजमार्ग हेतु मिट्टी का खनन नियमनुसार किया जाये तथा खनन के उपरान्त उपजाऊ मिट्टी को पुनः उसी जगह पर डम्प कर दिया जाये जिससे की क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से आसपास के ग्रामों में प्राकृतिक रूप से जल प्रवाह के निकास हेतु उचित व्यवस्था भी की जाए। राजमार्ग निर्माण से प्राकृतिक जल बहाव में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

- ➢ अपर जिलाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि आसपास के गांवों के पशुओं को चारागाह में आने जाने हेतु उचित अण्डर पास एवं मार्गों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए। बिलासपुर में बाईपास के निमार्ण के समय लगने वाले जाम से वायु प्रदूषण अधिक होने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि बिलासपुर में बाईपास के निर्माण को प्राथमिकता देतु हुए शीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करा लिया जाए इससे वाहनों के जाम से होने वाले प्रदूषण की समस्या कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी चाहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय स्थापित किये जाने

वाले स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लाण्ट आदि की स्थापना आबादी से दूर एवं प्रदूषण की रोकथाम की समुचित व्यवस्था के साथ ही स्थापित किये जाएं, जिससे आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या न व्याप्त हो सके।

- श्री सोहन लाल, सहारा सेवा संस्थान इण्डस्ट्रीज एरिया, रामपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय कितने वृक्षों का कटान किया जाएगा एवं उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी।
  - ➢ श्री सेन गुप्ता द्वारा बताया गया कि जनपद रामपुर के अन्तर्गत कुल कटान किये गये वृक्षों के स्थान पर निर्माण कार्य के पश्चात् वन विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग के आस पास खाली स्थानों पर लगभग दोगुने वृक्षों को लगाए जाने का प्रस्ताव है।
- श्री सोहन लाल द्वारा यह भी जानकारी चाही गयी कि बाईपास के ओवर ब्रिज, अण्डर पास का निमार्ण भूकम्प रोधी होगा अथवा होगा नहीं ?
  - ➢ श्री सेन गुप्ता द्वारा बताया गया कि बाईपास के जिन ओवर ब्रिज, अण्डर पास का निर्माण किया जाएगा सब भूकम्प रोधी होंगे।
- श्री सोहन लाल द्वारा लोक सुनवाई के दौरान लिखित रूप में आपत्तियां एवं सुझाव भी दिये गये हैं जोकि संलग्न है।

अपर जिलाधिकारी द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि राजमार्ग का निमार्ण करते समय मिट्टी पर पानी का छिड़काव समय–समय पर सुनिश्चित किया जाए प्रायः देखने में आता है कि निमार्ण एजेंसी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है एवं लापरवाही बरती जाती है इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा समय–समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। अपर जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के प्रस्तावित निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि अच्छी सड़कों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों का विकास भी त्वरित गति से होगा।

अंत में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु सहमति व्यक्त की गयी तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

25/5/12
(पी0के0 अग्रवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद

25/5/2012
(एस0पी0 पटेल)
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
रामपुर।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय चरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 87, रामपुर काठगोदाम अनुभाग को 2/4 लेन में चौड़ीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपर जिलाधिकारी रामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2012 अपरान्ह 12 बजे लोक सुनवाई में उपस्थिति—

क0सं0	नाम	विभाग/संगठन का नाम व पता	टैलीफोन/मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1-	अपर जिलाधिकारी	(वि०/रा०) रामपुर	945441-7644	22/5/2012 I/c D.M.
2-	क्षे० अधि० उ.प्र.प्र.नि.बोर्ड	मुरादाबाद	0591-2455545	22/5/12
3.	अवधेश कुमार सिंह ओझा	परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प्रा. कानपुर	9889005892	
4.	मुख्य पर्यावरण अभियन्ता UPPCB, MBD	UPPCB, MBD	9410012717	
5.	वि० कु० राजपूत वैज्ञा० सहा०	उ०प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड मुरादाबाद	0591-2485374	
6.	इरफान अहमद स्टैनो	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद	0591-2483594	
7	[illegible]	L.A.C रामपुर	9412496413	
8	Anuj Pratap Singh	Dibdiba	9026281811	
9	A.K. Verma	Bilaspur	9889652276	
10	S. Sengupta	Rudrapur	9837873848	
11.	S. Balveer Singh	Bilaspur	9837075070	
12	R.K. Mittal	Bilaspur	9756988000	
13	D.V. MITTAL	Bilaspur	9456665777	
14.	सोहन लाल 9410464766	सहारा सेवा संस्थान इन्द्रपुरी रामपुर	9410464766	
15.	Sandeep Singh.	Era Infra Engineering Ltd.	07895137277	

SAHARA
SEWA SANSTHAN (REGD)
INDUSTRIAL AREA, CIVIL LINES, RAMPUR-244901(U.P.)

REF. NO. सेवे /2012 DATE 13-5-2012

सेवा में,

सदस्य सचिव (प्र.)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिकप भवन,तृतीय तल,बी–ब्लाक,विभूति खण्ड
गोमती नगर,लखनऊ।

विषय– राजमार्ग 87, रामपुर काठगोदाम अनुभाग की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवायी के लिए आम सूचना।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक सन्दर्भ संख्या F03981 / सी–7 / एन0ओ0सी0–377 / मुरा0 / 2012 दिनांक 07.05.2012 के सन्दर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 87 के रामपुर, काठगोदाम अनुभाग किमी0 0.00 से 88.00 तक लोक सुनवायी परियोजना से सम्बन्धित आपत्ति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sohanlal

सचिव

Secretary
Sahara Sewa Sansthan
Rampur U.P.

परियोजना से सम्बन्धित आपत्ति/सुझाव सारांश

आपत्ति

1 परियोजना सारांश के क्रमांक 7 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 45 मी0 से 60 मी0 के मध्य होने की दशा में परियोजना के किनारे रामपुर,भोट बाजार, बिलासपुर, रूद्रपुर, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम नगर तथा इसके अलावा कई छोटे बड़े बसे हुये गांव की आबादी उनके घर टूटने के कारण प्रभावित होगी एवं उनके पुर्नवास की क्या व्यवस्था होगी।

2 परियोजना क्रमांक के सारांश 8 में परियोजना भुकम्प प्रभावित क्षेत्र III दर्शायी गयी है। जबकि उक्त क्षेत्र भूकम्प के IV जोन में आता है। जिसकी तीव्रता अधिक होगी। बचाव के क्या उपाऐ हैं।

3 परियोजना सारांश के क्रमांक 9 के किमी0 90 से 93 के मध्य तक आरक्षित वन्य क्षेत्र पंतनगर से लालकुआं तक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें मार्गो पर वन्य जीव जन्तु गुजरते रहते है। जिसके साक्ष्य में वर्तमान में वन्य जीव प्रभावी क्षेत्र के बोर्ड जगह-जगह लगे हैं तथा आये दिन वाहनों की चपेट में वन्य जीव आकर मर जाते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण का उल्लंघन होगा।

4 परियोजना सारांश के क्रमांक 14 में 24874 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। जिसमें से 18000 वृक्षों को काटा जाना लक्ष्यित है। जिसके कारण उक्त क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित होगा तथा पर्यावरण को खतरा पैदा हो जाएगा। जबकि सरकार सामाजिक संगठन, उक्त संस्थान पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या उपाय किये गये हैं एवं उनकी क्षतिपूरक वृक्षारोपण, स्थल सुंदरीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी, अवगत कराये जिससे की संस्थान अपने स्तर से स्वयं मूल्यांकन करा सके।

सुझाव

प्रस्तावित मार्ग पर जाम की समस्या से निजात पाने के लिये रामपुर स्टेशन चौराहे से बिलासपुर गेट तक रामपुर नगर के बाहरी ओर बाईपास निर्माण एवं बिलासपुर में केमरी चौराहे से भाखड़ा डाम नहर तक ओवर ब्रिज एवं रूद्रपुर में रामपुर चेक पोस्ट से रोडवेज तक ओवर ब्रिज तथा हल्द्वानी नगर के प्रारम्भ से रोडवेज तक बाईपास बनने पर उक्त मार्ग पर दो लेन से चार लेन में सुदृढीकरण के साथ चौड़ीकरण की आवश्यकता नही पड़ेगी।

Sohanlal
Secretary
Sahara Sewa Sansthan
Rampur U.P